कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 08 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 02/07/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0– 19494 / 2016)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0–08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 52 / 2022 / एफ0सी0 / दिनांक 04.11.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 7539 / 12–1, दिनांक– 24.06.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

<u>संलग्न– उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

O/c

प्रतिहस्ताक्षर 27/6

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 7539 / 12-1 अल्मोड़ा दिनांक 24/06/2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमांऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 19494/2016)

सन्दर्भ – भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं0–08बी0/यू0सी0पी0/06/52/2022/एफ0सी0 दिनांक 04.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा बिन्दु सं0 1 में लगायी गयी आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास किया गया निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में स्थलीय निरीक्षण करते हुए मौके पर पायी गयी स्थिति के अनुसार ही आख्या उपलब्ध करायी गयी थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् पुनः प्रेषित किया जा रहा है–

1. The extent of the violation area, including its length and width.

आख्या– प्रस्तावित मोटर मार्ग के पास किये गये निर्माण कार्य का अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, मौके पर किया गया कटिंग कार्य वन पंचायत भूमि में होना पाया गया, जिसमें वन पंचायत प्रबन्ध समिति द्वारा देखभाल एवं कार्यवाही की जाती है। निरीक्षण में मौके पर सरपंच भी उपस्थित थे जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड द्वाराहाट द्वारा यह कटिंग कार्य किया गया है, जोकि कुल 0.945 किमी0 लम्बाई व 2 से 3 मी0 चौड़ाई में निर्माण कार्य किया जाना पाया गया है। प्रस्तावक विभाग प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा, जिनके द्वारा मोटर मार्ग हेतु प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है के द्वारा कटिंग कार्य नहीं किया गया है। मौके पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण में वन पंचायत सरपंच को निर्देशित किया गया कि प्रकरण पर वन पंचायत नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है।

2. The Nature and details of violation .

आख्या– बिन्दु सं0 1 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। बिन्दु सं0 1 के तथ्य सम्मिलित करते हुए यह स्पष्ट है कि प्रस्ताक विभाग द्वारा कटिंग कार्य नहीं किया गया है, जिस हेतु सरपंच को निर्देशित किया गया । अतः प्रकरण पर प्रस्तावक विभाग के द्वारा एफ0सी0ए0 1980 का उल्लघंन नहीं हुआ है एवं **Local Laws** के तहत सरपंच द्वारा कार्यवाही की गयी है।

3. **The action taken or proposed to be taken against the responsible agency/person(s),if any.**

आख्या– प्रकरण पर एफ0सी0ए0 का उल्लंघन नहीं हुआ है एवं गाईडलाईन्स के अनुसार ऐसे प्रकरणों में ***Local Laws*** के तहत कार्यवाही की जाती है। वन पंचायत द्वारा वन पंचायत नियमावली 2005 (यथासंशोधित 2012 एवं 2024) की धारा 19(6) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कार्यदायी संस्था/ठेकेदार से रू0 45000.00 का अर्थदण्ड वसूल कर लिया गया है, उक्त धनराशि से वन पंचायत द्वारा वृक्षारोपण कार्य भी करा लिया गया है।(अभिलेख संलग्न हैं)

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 7539 / 12-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग,
द्वारा - श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी,
वन क्षेत्र सोमेश्वर।

विषय:- रौलाखरक तिनगेर मोटर मार्ग प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि वर्ष 2022 के अन्तर्गत तिनगेर रौलाखरक मोटर मार्ग का वन पंचायत मल्याल गाँव में जो अवैध निर्माण हुआ था। इसके सम्बन्ध में सरपंच वन पंचायत मल्याल गाँव द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार पर उचित कार्यवाही करते हुए, 45,000 रू० का जुर्माना काटा गया है। जिसकी धनराशि वनपंचायत मल्याल गाँव के खाता संख्या- 76024388467 (उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक) में दिनांक 03-09-2025 को प्राप्त हुआ है तथा रौलाखरक ग्राम वासियों के सहयोग व सरपंच मल्याल द्वारा वनपंचायत में लगभग 1000 पौधों का रोपण भी कर दिया गया है।

अतः महोदय सरपंच वनपंचायत मल्याल गाँव द्वारा उक्त प्रकरण ऊपर विधिवत कार्यवाही कर ली गयी है तथा बाकी की कार्यवाही आप अपने अनुसार करने कृपा कीजिएगा।

धन्यवाद!

दिनांक- 06/09/2025

Varsha
सरपंच
वन पंचायत मल्याल गाँव

Recd
06/09/2025

कार्यालय वन क्षेत्र अधिकारी सोमेश्वर
पत्रांक..[illegible]66/1.0. दिनांक...6/9/25

मूल में, श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय अल्मोड़ा की सेवा में सूचनार्थ एवं उचित क्रिया निर्देश हेतु सादर प्रेषित। महोदय प० पं० मल्थाल थोप भूमे सं० वन प्रभाग रानीखेत के मगास रेंज अन्तर्गत आती है।

[signature]

वन क्षेत्र अधिकारी
सोमेश्वर वन क्षेत्र

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
पंजीकृत सं. 852
फाईल सं. K-I(2)
दिनांक 9 - 9 - २०[illegible]
सूचित

चिलियानौला प्रेस रानीखेत फोन [illegible]

प्राप्ति स्वीकार

वन पंचायत ग्राम सल्याल गाँव

पत्रालय कुलसीबी जिला अल्मोड़ा...

क्रमांक 98 दिनांक 25/08/2025

श्री/श्रीमती ... बिशन सिंह कनवाल ...

पुत्र/पत्नी ... ग्राम गड़स्यारी ... वालों से

रुपये ... 45,000/- ... पैसे -0 ... (शब्दों में)

पैंतालीस हजार मात्र की मद से सधन्यवाद प्राप्त किए।

रु० 45,000/-

वन पंचायत [illegible] हस्ताक्षर [illegible]

पँजीकृत (77)

23/4/25
सर्वेयर

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी,
द्वाराहाट–अल्मोड़ा

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा
पंजीकृत सं. 11762
फाईल सं. K-1(2)
दिनांक 23-4-2025

भूमि द०

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 56 /अन0फण्ड/योजना/सूचना/2025–26 दिनांक 17.04.2025

विषयः जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित रौलाखरक–तिनगैर मोटर मार्ग के पास से अन्य मोटर मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1974/12–1(2)/अल्मोड़ा दिनांक 22–10–2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें विधान सभा सोमेश्वर के अर्न्तत प्रस्तावित रौलाखरक–तिनगेर मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखण के समीप से ही एक अन्य मार्ग का निर्माण कार्य कर FCA 1980 का उल्लंघन करने तथा उक्त निर्माण कार्य को वन पंचायत भूमि पर किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट करने हेतु अवगत कराया गया है।

अतः उक्त कम में निम्नलिखित तथ्य सेवा में प्रस्तुत हैं।

1– योजना के निर्माण हेतु श्रीमान् जिलाधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय पत्रांक 2186 दिनांक 29 दिसम्बर 2021 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई। ज्ञातव्य है कि प्रा0पा0 मुझोली बूथ स्थल होने के कारण ग्रामवासियों को स्थल तक पहुँचाने के लिये अतिशीघ्र कार्य करवाने हेतु अनटाईड फण्ड के अन्तर्गत मल्यालगॉव मुख्य सड़क से रौलाखरक होते हुये प्रा0पा0 मुझोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि आंबटित की गई थी।

2– मार्ग निर्माण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 38 दिनांक 07 अप्रैल 2022 को श्री बिशन सिंह कनवाल,ग्राम गड़स्यारी, पो0–बेड़गॉव, जिला–अल्मोड़ा को कार्यादेश जारी किया गया। (कार्यादेश संलग्न है।) मार्ग निर्माण हेतु जारी कार्यादेश में बिन्दु संख्या (3) पर उल्लेखित किया गया है कि उक्त कार्य में कार्य–स्थल पर किसी भी ग्रामवासी की व्यक्तिगत भूमि/वनभूमि आदि के न होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य प्रारम्भ करने के दौरान ग्रामवासियों की व्यक्तिगत भूमि/वन भूमि कटाव होने की स्थित में इस कार्यालय की कोई जिम्मदारी नहीं होगी,इसका वहन आपके द्वारा स्वयं किया जायेगा।

3– उपरोक्त कार्यादेश के अनुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सरपंच मल्यालगॉव व ग्रामवासियों का हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

4– कनिष्ठ अभियन्ता (ग्रा0नि0वि0) विकास खण्ड–द्वाराहाट द्वारा 950 मी0 कार्य का मूल्यांकन किया गया। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग लगभग 2.00 किमी0 है, जिसके सापेक्ष मात्र 950 मी0 मार्ग का निर्माण विकास खण्ड द्वारा किया गया जोकि ग्राम पंचायत की भूमि है। यह भी अवगत कराना है कि रौलाखरक ग्राम से लीसाटाल डीपो की ओर वन पंचायत क्षेत्र में ग्रामवासियों का पूर्व से प्रचलित मार्ग है तथा ठेकेदार द्वारा अवगत कराया गया है कि इस कार्य के इतर ड्रेसिगं का कार्य किया गया है। (प्रति संलग्न है।)

5– ज्ञातव्य है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति सरपंच वन पंचायत मल्यालगॉव द्वारा दी गई थी। साथ ही उक्त मार्ग के जिस भाग का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया गया उस स्थल पर कोई भी वृक्ष का कटान नहीं किया गया है।

6–मार्ग निर्माण के दौरान वन विभाग तथा ग्राम मुझोली में तैनात वन दरोगा इत्यादि के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। यह भी अवगत करना है कि मार्ग निर्माण हेतु कार्यालय से जारी कार्यादेश के अनुसार अनुबन्धित ठेकेदार को ग्राम पंचायत/वन पंचायत की भूमि पर कटान न किये जाने की जिम्मेदारी दी गई थी तथा इनके द्वारा इस मार्ग में वन पंचायत की भूमि होने के सम्बन्ध में कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया।

अतः उपरोक्त कम में महोदय से अनुरोध है कि इस प्रकरण को निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्न –(03)

भवदीय,

खण्ड विकास अधिकारी,
द्वाराहाट–अल्मोड़ा।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,द्वाराहाट(अल्मोड़ा)

पत्रांक 38 /लेखा/अ0फ0/कार्य-आदेश/2022-23 दिनांक 07/04/2022

श्री बिशन सिंह कनवाल,राजकीय ठेकेदार,
ग्राम-गड़स्यारी-पो0-बेड़गाँव,
अल्मोड़ा।

विषय- <u>कार्य-आदेश स्वीकृति के सम्बन्ध में।</u>

उपरोक्त विषयक आपको अवगत करना है कि अनटाईड फण्ड के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि मु0
2,00,000.00 (दो लाख) मात्र से मल्यालगाँव मुख्य सड़क से रौलाखरक होते हुये प्रा0पा0मुझोली तक मोटर मार्ग
निर्माण हेतु प्राप्त कोटेशनों में आपके द्वारा डाली गई दरें न्यूनतम होने के कारण आपके नाम से निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों
के अधीन स्वीकृत की जाती हैं।
1- उक्त कार्य हेतु आपके द्वारा धरोहर राशि 10 प्रतिशत एफडी आर के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम से बन्धक कर
कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ताकि धरोहर धनराशि को भविष्य में जमानत राशि रूप में समायोजित किया जा
सके।
2- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मु0 100.00 के स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने होंगे,जिसमें योजना से सम्बन्धित
विवरण,स्वीकृत धनराशि,कोटेशन की दरें व समय-सीमा आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
3- उक्त कार्य में कार्य-स्थल पर किसी भी ग्रामवासी की व्यक्तिगत भूमि/वनभूमि आदि के न होने से सम्बन्धित
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्य प्रारम्भ करने के दौरान ग्रामवासियों की व्यक्तिगत भूमि/वन भूमि का कटाव
होने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी,इसका वहन आपके द्वारा स्वंय किया जायेगा।
4-योजना में भुगतान अपर सहायक अभियन्ता (ग्रा0नि0वि0) द्वारा कृत कार्य-मूल्यांकन के आधार पर तथा अन्तिम
भुगतान एम0बी0 प्रतिहस्ताक्षरित होने के पश्चात किया जायेगा।
5-स्वीकृत दरें 6 माह के लिये मान्य होंगी।
6-किसी भी प्रकार के परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र-द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
अतः आप निम्न शर्तों के अधीन समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित
करें,यदि आपके द्वारा उपरोक्तानुसार वांछित अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो भविष्य में योजना में
भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा,जिसके लिये आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

[illegible]

Scanned with CamScanner

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक - 21.11.2024 को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के कार्यालय पत्र सं० 1344/7 सी दिनांक 04.06.2024 व प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय पत्र सं० 3477/12-1(2) दिनांक 01.02.2024 एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय पत्रांक सं० 113/मु० दिनांक 24.10.2024 के क्रम में रौलाखरक तिनौर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो० नि० वि० को प्रत्यावर्तन (प्र० सं० 19444/2016) विषयक प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण के पास से अन्यत्र मार्ग का निर्माण स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किया गया के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० अल्मोड़ा के सहायक अभियन्ता श्री के० जी० गोस्वामी व अपर सहायक अभियन्ता श्री हिमांशु जोशी व वनक्षेत्र सोमेश्वर के वन दरोगा श्री गोपाल राम आर्या व राजस्व उपनिरीक्षक श्री ख्याली राम (मैंडी) व खण्ड विकास द्वाराहाट से ग्रा० पं० वि० अ० - श्री जगदीश चन्द्र व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी व ग्रामवासियों की उपस्थिति में उक्त मोटर मार्ग का निरीक्षण किया गया।

उक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में ग्रामवासियों व अन्य लोगो द्वारा बताया गया कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण अनटाइड फण्ड कार्य - मल्यालगांव मुख्य सड़क से रौलाखरक होते हुए प्रा० पा० मुझोली मोटर मार्ग की स्वीकृत धनराशि - 2.00 लाख कार्यदायी संस्था - वि० ख० द्वाराहाट वर्ष - 2021-22 व ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया।

वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग स्लाइडिंग जोन होने से जगह जगह पर मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे किसी प्रकार की यातायात व पैदल मार्ग उपयोग में नहीं लाया जा रहा है ना हि भविष्य में उक्त मोटर मार्ग का सफल सन्चालन नहीं हो सकता है उक्त मोटर मार्ग पूर्ण रूप से बन्द है।

(हस्ताक्षर) 21/11/24
Himanshu Joshi
AAE PDPWD Almora

(हस्ताक्षर) 21/11/2024
K.G. Goswami
AE PD PWD Almora

G. Au
(गोपालराम आर्या)
वन दरोगा
सोमेश्वर-प्रथम

(हस्ताक्षर)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि०ख० द्वाराहाट

रेनू देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम सभा मुझोली
वि०ख० द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

(हस्ताक्षर) राजस्व उपनिरीक्षक
21/11/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail:eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 152 /7 सी0 दिनांक 19 जनवरी 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत रौलाखरक से तिनगेर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: आपका कार्यालय पत्र सं0 415/12–1(2) दिनॉक 21.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में विषयक मार्ग के समीप निर्मित मोटर मार्ग के संबंध में चाही गयी वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नवत है।

ग्रामवासियों द्वारा निर्मित किये मार्ग का निरीक्षण किया गया जिसमें तकनीकी रूप से निम्न कमियॉ परिलक्षित हुयी।

1. मार्ग के प्रारम्भिक 0.500 कि0मी0 लम्बाई का भाग भू–धसाव के कारण क्षतिग्रस्त है। जिसके सुधार किये जाने पर पुनः भू–धसाव की संभावना है।
2. मार्ग प्रारम्भिक बिन्दु से 1:5 से 1:10 ग्रेड के मध्य निर्मित है जबकि लो0नि0वि0 के मानकानुसार वाहन चलाने हेतु मोटर मार्ग हेतु अनुमन्य ग्रेड 1:20 से अधिक है।
3. मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 2.00 मी0 से 3.00 मीटर के मध्य है। कम दूरी में हेयरपिन बैण्ड होने के कारण मार्ग का चौड़ीकरण कार्य किया जाना संभव नहीं है।
4. मार्ग के आरम्भिक बिन्दु से 0.945 कि0मी0 लम्बाई में 8 हेयरपिन बैण्ड निर्मित हैं जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 1 कि0मी0 लम्बाई में अधिकतम 5 हेयरपिन बैण्ड निर्मित किये जा सकते हैं, जो कि मार्ग के ज्यामितीय स्थायित्व हेतु सुरक्षित है।

उक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत ग्रामवासियों द्वारा निर्मित द्वारा निर्मित मार्ग को मोटर मार्ग के संरेखण के अनुसार निर्माण किया जाना उचित नहीं है।

हस्ता0 7284 12-1(2) 20-1-2024

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा।

पत्रांक / तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता (तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,अल्मोड़ा।